




Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

C-SHANK KUMAR
LMP VENDOR LICENCE No- E
CC FOR UP14855704
Mob-8746581298, 8284775130
GATE No-3 CIVIL COURT AGRA

Certificate No.
Certificate issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Furnished by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid by
Stamp Duty Amount(Rs.)

1 INUPD1180227018121V
2 29-Aug-2023 05:40 PM
3 NEWMP ACC (BY) up14855704 AGRA BAGAR UP AGR
4 BURV-OPUP148557049785837184M2V
5 CHAUDHARY GULAB SINGH COLLEGE OF PHARMACY
6 Article 4 Affidavit
7 Not Applicable
8
9 CHAUDHARY GULAB SINGH COLLEGE OF PHARMACY
10 PO NEW DELHI
11 CHAUDHARY GULAB SINGH COLLEGE OF PHARMACY
12 100
13 (One Hundred only)



Handwritten mark

Handwritten mark



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN UP/2024/REG/1081/197

NOTARY KUMAR SHARMA


e-Stamp

STAMP VENDOR

LICENCE NO. 283

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount (Rs.)

1 IN-UP/2024/REG/1081/197
 2 20-Aug-2024 03:07 PM
 3 NEW/STAMP DUTY UP/14708204/ADRA-SADAR/UP-AGR
 4 TUSN-UP/UP/14708204/ADRA-SADAR/UP-AGR
 5 E NOTARIAL TICKET
 6 Article 42 Notarial Act
 7 Not Applicable
 8
 9
 10 E NOTARIAL TICKET
 11 NOTARY ADVOCET
 12 E NOTARIAL TICKET
 13 10
 14 (Tax only)



Please note or type below this line

NOTARIAL TICKET



Notary Act:

1. The authenticity of the Stamp Certificate should be verified at 'www.stampcert.gov.in' using a Stamp Vendor's ID or Stamp Vendor's Registration No. in the back of the Certificate and an Aadhaar or the mobile number registered with the Stamp Vendor.
2. The issue of creating the certificate is at the discretion of the notary.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

NON JUDICIAL



(पालय -अ)

हम रजनी चौधरी एवं हरिओम चौधरी, क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव विराट सेवा समिति, ई-56 न्यू आगरा, जिला आगरा सपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय, नानिकपुर सादाबाद हाथरस बानक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय, नानिकपुर सादाबाद हाथरस में गांव सं० 472,473 रकबा 1.009 हेक्टेअर (कुल रकबा 1.009 है०) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गांव संख्या 472,473 एवं 1.009 रकबा क्रमश 1.009 हेक्टेअर (कुल रकबा 1.009 है०) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 23.11.2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निष्पत्ति भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



WITNESSED
HIMALAYA PARASHAR
GENERAL OFFICER
CIVIL COURT AGRA

9. यह कि, इस संस्था में फार्मली काननिसल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रतिक्रिया प्रदान किया जायेगा।
10. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मली काननिसल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय/द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईआईआई/आईआईटी आदि का संघालन न हो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संघालन हेतु आवश्यक इलाक जम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों आदि को फार्मली काननिसल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि वे संस्थान में किसी भी समय स्वतंत्र निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निर्देशन एवं समन्वय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।



हस्ताक्षर
HO सचिव

हस्ताक्षर
HO अध्यक्ष

ATTESTED
HIMALAYA PRADESH
Advocate
Gazetted Officer
Civil Court AGP